संoसंo—एग—4—5/2022 - 917 /विo

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 01/12/2025

विषय :—स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल विस्तारित करने के संबंध में ।

राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0—9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :—

(i) विकास आयुक्त — अध्यक्ष
(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग — सदस्य सचिव
(iv) संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव — सदस्य

2. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि का विस्तार समय—समय पर किया जाता रहा है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या—12640 दिनांक—26.11.2024 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक—31.03.2025 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

3. वर्त्तमान परिपेक्ष्य में स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उसकी समीक्षा की आवश्यकता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत **स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से दिनांक—31.03.2026 तक के लिए** विस्तारित किया जाता है । इस क्रम में स्कीम स्क्रीनिंग समिति का स्वरूप यथावत रहेगा।

4. उक्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के द्वारा निम्नांकित विषयों से संबंधित स्कीम के समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगीः—

(i) आपदा से संबंधित स्कीम,
(ii) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम,
(iii) उक्त क्रमांक—(i) से (ii) में वर्णित मूल स्कीम का Supporting स्कीम ।

नोटः— *मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, यथा, भवन निर्मित हो, उसका Furniture, विद्युतीकरण, संपर्क सड़कतथा transformerअधिष्ठापन आदि से संबंधित योजना। इसी प्रकार विधि—व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण ।*

5. इस प्रकार उपर्युक्त कंडिका—4 में वर्णित विषय/स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका—1 में वर्णित स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष निम्नवत् रखे जाएँगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगाः—

(i) ₹5.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएगें ।

(ii) ₹5.00 करोड़ से अधिक एवं ₹15.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति प्राधिकार के रूप में इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

6. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत नई स्कीमों की स्वीकृति का प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या—12888 दिनांक—03.12.2024 की कंडिका—2(क) (समय—समय पर यथा संशोधित) में वर्णित है।

7. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (यथा, संकल्प निर्गत होने की तिथि) से दिनांक–31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

01.12.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः–एम–4–5/2022 917 **/वि०, पटना, दिनांकः**– 01/12/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01.12.25

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः–एम–4–5/2022 917 **/वि०, पटना, दिनांकः**– 01/12/2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01.12.25

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः–एम–4–5/2022 917 **/वि०, पटना, दिनांकः**– 01/12/2025

प्रतिलिपिः–माननीय वित्तमंत्री के आप्त सचिव/सचिव (संसाधन)/सचिव (व्यय)/संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/बजट सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01.12.25

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः–एम–4–5/2022 917 **/वि०, पटना, दिनांकः**– 01/12/2025

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.12.25

सचिव (व्यय) ।